THE RESEARCH DIALOGUE
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
© The Research Dialogue | Volume-05 | Issue-01 | April-2026
Available online at: https://theresearchdialogue.com/
DOI : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i1.74

आतंकवाद और भारत की आंतरिक सुरक्षा: बदलते स्वरूप, चुनौतियाँ एवं नीतिगत प्रतिरक्षा का विश्लेषण

डॉ० कुलदीप सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग, बाबा बरुआ दास पी जी कॉलेज परूइया आश्रम अम्बेडकरनगर।
Email: kuldeep791@gmail.com

सारांश

आतंकवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए केवल एक सैन्य अथवा कानून-व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है, बल्कि यह राज्य की संप्रभुता, सामाजिक समरसता, आर्थिक गतिविधियों, लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिकों के मनोवैज्ञानिक विश्वास को एक साथ प्रभावित करने वाली बहुआयामी चुनौती है। भारत की भौगोलिक स्थिति, विस्तृत स्थल एवं समुद्री सीमाएँ, विविध सामाजिक संरचना, पड़ोसी क्षेत्रों में सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क, सीमा-पार प्रायोजन, वामपंथी उग्रवाद, उत्तर-पूर्व की ऐतिहासिक असंतुष्टियाँ तथा डिजिटल माध्यमों से फैलता कट्टरपंथ इस चुनौती को जटिल बनाते हैं। प्रस्तुत शोध-लेख का उद्देश्य भारत में आतंकवाद के बदलते स्वरूप, उसके आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव, राज्य की संस्थागत एवं विधिक प्रतिक्रिया तथा भविष्य की नीति-आवश्यकताओं का विश्लेषण करना है। अध्ययन वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है और इसमें गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, संसद के आधिकारिक उत्तरों, भारतीय विधि-संहिता तथा संयुक्त राष्ट्र के प्रतिवेदनों और नीति-दस्तावेजों का उपयोग किया गया है। उपलब्ध आधिकारिक आँकड़े बताते हैं कि जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्व और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा के अनेक संकेतकों में उल्लेखनीय कमी आई है; फिर भी ऑनलाइन कट्टरपंथ, ड्रोन-आधारित तस्करी, छोटे विकेन्द्रीकृत मॉड्यूल, आतंकी वित्तपोषण, संगठित अपराध से गठजोड़ और महत्त्वपूर्ण अवसंरचना पर साइबर खतरे नई चिंता के विषय हैं। लेख का निष्कर्ष है कि टिकाऊ आंतरिक सुरक्षा केवल कठोर दमन से नहीं, बल्कि सटीक खुफिया तंत्र, निष्पक्ष न्याय, स्थानीय विकास, सामाजिक विश्वास, डिजिटल साक्षरता, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मानवाधिकार-सम्मत शासन के संयुक्त प्रयोग से संभव है।

मुख्य शब्द: आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा, सीमा-पार आतंकवाद, कट्टरपंथ, वामपंथी उग्रवाद, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, आतंकवाद-रोधी नीति

1. प्रस्तावना

आतंकवाद का मूल उद्देश्य केवल भौतिक क्षति पहुँचाना नहीं होता। सीमित हिंसा के माध्यम से व्यापक भय उत्पन्न करना, शासन की क्षमता पर अविश्वास पैदा करना, समुदायों को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करना उसका बड़ा लक्ष्य होता है। इस अर्थ में आतंकवाद युद्ध और अपराध के बीच स्थित एक ऐसी रणनीति है, जिसमें हमला किसी व्यक्ति या स्थान पर होता है, पर उसका संदेश पूरे समाज को संबोधित करता है। यही कारण है कि किसी बम विस्फोट, लक्षित हत्या, धार्मिक स्थल पर आक्रमण, यातायात व्यवस्था पर हमला अथवा डिजिटल प्रचार का प्रभाव घटना-स्थल से कहीं आगे तक जाता है।

भारत ने स्वतंत्रता के बाद विभिन्न प्रकार की हिंसक चुनौतियों का सामना किया है—पंजाब में अलगाववादी आतंकवाद, जम्मू-कश्मीर में सीमा-पार आतंकवाद, उत्तर-पूर्व में सशस्त्र विद्रोह, मध्य एवं पूर्वी भारत में वामपंथी उग्रवाद, महानगरों में आतंकी मॉड्यूल और समय-समय पर विदेशी आतंकवादी

संगठनों से प्रेरित षड्यंत्र। इन सभी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक आधार और कार्यप्रणाली एक जैसी नहीं है; फिर भी वे राज्य की वैध सत्ता को हिंसा से चुनौती देने, भय पैदा करने और संवैधानिक प्रक्रिया के स्थान पर हथियारबंद दबाव स्थापित करने की प्रवृत्ति में समान हैं।

भारत की आंतरिक सुरक्षा की अवधारणा भी अब परंपरागत कानून-व्यवस्था से आगे बढ़ चुकी है। इसमें सीमा प्रबंधन, खुफिया समन्वय, आतंक-वित्त नियंत्रण, साइबर सुरक्षा, सामुदायिक विश्वास, महत्त्वपूर्ण अवसंरचना की रक्षा, आपदा-प्रतिक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया और विदेश नीति तक शामिल हैं। गृह मंत्रालय द्वारा 2026 में प्रकाशित राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति एवं रणनीति 'प्रहार' में आतंकवादी हमलों की रोकथाम, त्वरित एवं अनुपातिक प्रतिक्रिया, पूरे शासन-तंत्र की समेकित क्षमता, कट्टरपंथ को सक्षम बनाने वाली परिस्थितियों का क्षरण तथा मानवाधिकार और विधि के शासन पर आधारित प्रक्रियाओं को केंद्रीय आधार माना गया है। यह दृष्टिकोण आतंकवाद को केवल बंदूक से नहीं, बल्कि शासन, समाज, तकनीक और न्याय के संयुक्त प्रश्न के रूप में देखता है।

2. अध्ययन के उद्देश्य एवं शोध-पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन का पहला उद्देश्य भारत में आतंकवाद के प्रमुख रूपों की पहचान करना है। दूसरा उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा पर इसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों का विश्लेषण करना है। तीसरा उद्देश्य भारत के विधिक एवं संस्थागत आतंकवाद-रोधी ढाँचे की उपलब्धियों और सीमाओं का मूल्यांकन करना है। चौथा उद्देश्य भविष्य के लिए व्यावहारिक एवं संतुलित नीति-सुझाव प्रस्तुत करना है।

अध्ययन गुणात्मक, वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसमें द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्रमुख स्रोतों में भारत सरकार के गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टें, संसद में दिए गए लिखित उत्तर, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के आधिकारिक अभिलेख, इंडिया कोड में उपलब्ध अधिनियम तथा संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति शामिल हैं। आँकड़ों को किसी राजनीतिक दावे की तरह ग्रहण करने के बजाय प्रवृत्तियों को समझने के लिए उपयोग किया गया है।

आतंकवाद से संबंधित आँकड़े विभिन्न संस्थाओं द्वारा अलग-अलग परिभाषाओं और समयावधियों में संकलित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी स्रोत में केवल आतंकवादियों द्वारा आरंभ की गई घटनाएँ शामिल हो सकती हैं, जबकि दूसरे में मुठभेड़, गिरफ्तारी अथवा उग्रवाद से संबंधित सभी हिंसक घटनाएँ सम्मिलित हो सकती हैं। इसलिए अध्ययन में तुलनात्मक निष्कर्ष निकालते समय समान श्रेणी और समान स्रोत से प्राप्त आँकड़ों को प्राथमिकता दी गई है।

3. अवधारणात्मक परिप्रेक्ष्य और साहित्य समीक्षा

आतंकवाद की सर्वमान्य अंतरराष्ट्रीय परिभाषा आज भी विवादित है, क्योंकि 'आतंकवादी', 'विद्रोही', 'स्वतंत्रता सेनानी', 'अलगाववादी' और 'सशस्त्र गैर-राज्य अभिनेता' जैसी श्रेणियों पर देशों की राजनीतिक दृष्टि भिन्न रही है। फिर भी नागरिकों अथवा गैर-युद्धरत लोगों के विरुद्ध योजनाबद्ध हिंसा, भय का प्रसार और राजनीतिक या वैचारिक उद्देश्य अधिकांश परिभाषाओं के सामान्य तत्व हैं। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानता है और यह स्पष्ट करता है कि आतंकवाद-रोधी उपायों का आधार मानवाधिकार तथा विधि का शासन होना चाहिए।

मार्था क्रेन्शॉ ने आतंकवाद को प्रायः ऐसी राजनीतिक रणनीति माना, जिसे अपेक्षाकृत कमजोर समूह अपनी सीमित क्षमता के बावजूद अधिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अपनाते हैं। ब्रूस हॉफमैन ने इसकी विशिष्टता संगठित राजनीतिक उद्देश्य, हिंसा के प्रदर्शनात्मक उपयोग और व्यापक दर्शक-समूह को प्रभावित करने में देखी है। एंड्र्यू किड और बारबरा वाल्टर ने आतंकवादी रणनीतियों को भय, क्षति, उकसावे, विरोधी को थकाने और प्रतिस्पर्धी समूहों को पीछे छोड़ने जैसे लक्ष्यों से जोड़ा है।

इन अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि आतंकवाद को समझने के लिए केवल हमलावरों की संख्या, उनके हथियार अथवा घटना में हुई क्षति पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। आतंकवाद के प्रचारात्मक प्रभाव, सामाजिक पहचान, राजनीतिक शिकायतों, संगठनात्मक नेटवर्क, वित्तीय स्रोतों और राज्य की प्रतिक्रिया को भी समझना आवश्यक है। कई बार राज्य की असंतुलित प्रतिक्रिया स्वयं आतंकवादी प्रचार के लिए सामग्री उपलब्ध करा देती है।

भारतीय संदर्भ में आतंकवाद का अध्ययन प्रायः सुरक्षा-केंद्रित और क्षेत्र-केंद्रित रहा है। जम्मू-कश्मीर से संबंधित अध्ययन सीमा-पार प्रशिक्षण, घुसपैठ, स्थानीय भर्ती, राजनीतिक असंतोष और प्रचार-तंत्र पर केंद्रित रहे हैं। वामपंथी उग्रवाद से संबंधित साहित्य भूमि, वनाधिकार, आदिवासी वंचना, कमजोर प्रशासन और हथियारबंद माओवादी संगठन के बीच संबंध को रेखांकित करता है। उत्तर-पूर्व पर किए गए अध्ययनों में जातीय पहचान, स्वायत्तता, सीमाई भूगोल, अवैध हथियार और पड़ोसी देशों में उपलब्ध शरणस्थलों की भूमिका सामने आती है।

हाल के वर्षों में डिजिटल कट्टरपंथ, एन्क्रिप्टेड संचार, ड्रोन, आभासी परिसंपत्तियों, अनौपचारिक वित्त और संगठित अपराध-आतंक गठजोड़ नए अध्ययन-विषय बने हैं। इसलिए आतंकवाद को अब किसी एक निश्चित भूभाग या संगठन तक सीमित करके नहीं समझा जा सकता।

4. भारत में आतंकवाद के प्रमुख आयाम

4.1 सीमा-पार आतंकवाद और जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर लंबे समय से भारत की आंतरिक सुरक्षा का सबसे संवेदनशील क्षेत्र रहा है। यहाँ आतंकवादी गतिविधियों को सीमा-पार प्रशिक्षण, हथियारों की आपूर्ति, घुसपैठ, वित्तीय सहायता, डिजिटल प्रचार और स्थानीय सहयोगी नेटवर्क से समर्थन मिलता रहा है। हाल के वर्षों में बड़े एवं स्पष्ट रूप से पहचाने जाने वाले संगठनों के साथ छोटे मॉड्यूल, छद्म नामों वाले संगठन, लक्षित हत्याएँ तथा स्थानीय युवाओं को ऑनलाइन प्रभावित करने की रणनीति भी सामने आई है।

छोटे समूह प्रायः सीमित संचार करते हैं, स्थानीय भूगोल का लाभ उठाते हैं और सामान्य नागरिक जीवन में घुलने का प्रयास करते हैं। इससे उनकी पहचान पारंपरिक खुफिया तंत्र के लिए कठिन हो सकती है। आतंकवादी संगठन कभी-कभी स्थानीय असंतोष और व्यक्तिगत शिकायतों का उपयोग भर्ती एवं प्रचार के लिए करते हैं, जबकि उनका व्यापक संचालन और संसाधन सीमा-पार नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं।

आधिकारिक आँकड़े सुरक्षा स्थिति में सुधार की ओर संकेत करते हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा आरंभ की गई घटनाएँ 2018 में 228 थीं, जो 2023 में 30 नवंबर तक घटकर 43 रह गईं। इसी अवधि में नागरिक मृत्यु 55 से घटकर 13 और कार्रवाई में मारे गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या 91 से घटकर 25 हुई। गृह मंत्रालय ने वास्तविक समय पर खुफिया सूचना साझा करने, संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा, घेराबंदी एवं तलाशी अभियान तथा आतंकवाद के सहयोगी तंत्र पर कार्रवाई को इस कमी के प्रमुख कारणों में रखा है।

इन आँकड़ों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि खतरा पूरी तरह समाप्त हो गया है। नए क्षेत्रों में हिंसा फैलाने का प्रयास, सीमावर्ती जिलों में घात लगाकर किए जाने वाले हमले, स्थानीय सहयोगियों का प्रयोग और छोटे समूहों की सक्रियता निरंतर सतर्कता की माँग करती है। सुरक्षा की वास्तविक सफलता केवल घटनाओं की संख्या कम होने में नहीं, बल्कि स्थानीय नागरिकों में स्थायी विश्वास और सामान्य जीवन की पुनर्स्थापना

4.2 वामपंथी उग्रवाद

वामपंथी उग्रवाद, विशेषकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी–माओवादी से जुड़ी हिंसा, लंबे समय तक भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती रही है। इसका प्रभाव वन एवं खनिज-समृद्ध उन क्षेत्रों में अधिक रहा, जहाँ प्रशासनिक उपस्थिति कमजोर, बुनियादी सेवाएँ सीमित और स्थानीय समुदायों में वनाधिकार, भूमि, विस्थापन तथा संसाधनों के उपयोग को लेकर असंतोष था। माओवादी संगठन वास्तविक सामाजिक शिकायतों को हथियारबंद क्रांति की विचारधारा से जोड़ते हुए भर्ती, जबरन वसूली, बारूदी सुरंगों, सुरक्षा बलों पर हमलों और समानांतर नियंत्रण की रणनीति अपनाते रहे हैं। वे

सड़क, विद्यालय, मोबाइल टावर और अन्य विकास कार्यों को भी निशाना बना सकते हैं, क्योंकि बेहतर संपर्क और प्रशासनिक पहुँच उनके स्थानीय प्रभाव को कमजोर करती है।

वर्ष 2015 में स्वीकार की गई राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना ने सुरक्षा कार्रवाई के साथ सड़क, दूरसंचार, बैंकिंग, कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्थानीय अधिकारों की उपलब्धता को जोड़ने का प्रयास किया। लोकसभा में दिए गए आधिकारिक उत्तर के अनुसार 2010 की तुलना में 2024 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाएँ 1,936 से घटकर 374 हो गईं, अर्थात लगभग 81 प्रतिशत कमी दर्ज की गई। नागरिकों और सुरक्षा बलों की संयुक्त मृत्यु 1,005 से घटकर 150 हुई, जो लगभग 85 प्रतिशत कमी है। प्रभावित जिलों की संख्या भी अप्रैल 2018 के 126 से घटकर अप्रैल 2024 में 38 रह गई।

यह प्रगति सुरक्षा शिविरों की स्थापना, बेहतर सड़क संपर्क, मोबाइल संचार, स्थानीय पुलिस क्षमता, वित्तीय समावेशन और आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के संयुक्त प्रभाव को दर्शाती है। फिर भी बस्तर जैसे दुर्गम क्षेत्रों में बारूदी सुरंगें, स्थानीय नागरिकों में भय, संगठन की भूमिगत संरचना, जबरन भर्ती और विकास कार्यों पर हमला चुनौती बने हुए हैं। स्थायी समाधान के लिए सुरक्षा अभियान के साथ न्यायसंगत विकास तथा आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा आवश्यक है।

4.3 उत्तर-पूर्व में उग्रवाद और जातीय हिंसा

उत्तर-पूर्व की सुरक्षा समस्या को आतंकवाद की एकरूप श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यहाँ कई आंदोलनों का संबंध जातीय पहचान, क्षेत्रीय स्वायत्तता, संसाधन-वितरण, अंतरराज्यीय सीमाओं और ऐतिहासिक राजनीतिक समझौतों से रहा है। कुछ संगठनों ने लोकतांत्रिक वार्ता और शांति-समझौतों को स्वीकार किया, जबकि अन्य ने अपहरण, जबरन वसूली, हत्या, हथियारों की तस्करी और सीमा-पार शरणस्थलों का उपयोग किया।

गृह मंत्रालय के अनुसार 2014 की तुलना में 2023 में उत्तर-पूर्व में उग्रवाद की घटनाओं में लगभग 71 प्रतिशत, सुरक्षा बलों की मृत्यु में 60 प्रतिशत और नागरिक मृत्यु में 82 प्रतिशत कमी आई। विभिन्न शांति-समझौतों, आत्मसमर्पण, सीमा सहयोग और विकास कार्यक्रमों ने हिंसा घटाने में योगदान दिया है। कई क्षेत्रों से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का प्रभाव भी पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से हटाया गया है।

इसके बावजूद मणिपुर जैसे अनुभव बताते हैं कि पुरानी जातीय आशंकाएँ, भूमि एवं प्रतिनिधित्व के विवाद, अफवाह, घृणा-प्रचार और अवैध हथियार अचानक व्यापक हिंसा में बदल सकते हैं। इसलिए केवल शांति-समझौते पर हस्ताक्षर पर्याप्त नहीं हैं। उसके बाद पुनर्वास, हथियारों की वापसी, स्थानीय न्याय, निष्पक्ष प्रशासन, समुदायों के बीच संवाद और समझौतों का समयबद्ध क्रियान्वयन भी आवश्यक है।

4.4 शहरी आतंकवाद, ऑनलाइन कट्टरपंथ और अकेले हमलावरों का खतरा

बड़े संगठित हमलों के अतिरिक्त शहरी आतंकवाद अब छोटे, गुप्त और तकनीक-सक्षम नेटवर्क के रूप में उभर रहा है। सोशल मीडिया, बंद संदेश-समूहों, वीडियो मंचों, गेमिंग मंचों और एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन का उपयोग विचारधारात्मक प्रचार, भर्ती, धन जुटाने और प्रशिक्षण-सामग्री के प्रसार के लिए किया जा सकता है। कुछ मामलों में व्यक्ति किसी संगठन का औपचारिक सदस्य बने बिना ऑनलाइन सामग्री से प्रभावित होकर हिंसा की योजना बना सकता है। ऐसे स्व-प्रेरित अथवा अकेले हमलावरों की पहचान पारंपरिक खुफिया पद्धतियों से कठिन होती है, क्योंकि उनका किसी स्थापित नेटवर्क से नियमित संपर्क आवश्यक नहीं होता। वे सामान्य जीवन जीते हुए घरेलू स्तर पर उपलब्ध वस्तुओं और इंटरनेट से प्राप्त जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। भारत की 2026 की 'प्रहार' रणनीति इंटरनेट के दुरुपयोग, आतंकवादी प्रचार एवं भर्ती नेटवर्क, ओवरग्राउंड सहयोगियों, अवैध हथियार सिंडिकेट और आतंकी वित्तपोषण को एक-दूसरे से जुड़े खतरे के रूप में पहचानती है। रणनीति में मल्टी एजेंसी सेंटर और जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस को वास्तविक समय पर आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान का प्रमुख मंच माना गया है।

©The Research Dialogue | Received: 01 April 2026 | Accepted: 05 April 2026 | Published: 15 April 2026

यह सही दिशा है, पर डिजिटल निगरानी को वैधानिक प्रक्रिया, उत्तरदायित्व, न्यायिक संरक्षण और निजता के अधिकार के साथ संतुलित करना आवश्यक है। किसी व्यक्ति की राजनीतिक या धार्मिक अभिव्यक्ति और हिंसक षड्यंत्र में अंतर रखा जाना चाहिए। विचारों की निगरानी के नाम पर व्यापक सामाजिक अविश्वास पैदा करना दीर्घकाल में प्रतिकूल हो सकता है।

4.5 आतंक-वित्त, संगठित अपराध और नई तकनीक

आतंकवादी गतिविधि संसाधनों के बिना लंबे समय तक नहीं चल सकती। धन हवाला, जबरन वसूली, नशीले पदार्थों की तस्करी, नकली मुद्रा, अवैध खनन, वैध व्यापार की आड़, छोटे डिजिटल भुगतान, दान अथवा विदेश से भेजी गई राशि के रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है। कई बार संगठित अपराधी स्वयं वैचारिक आतंकवादी नहीं होते, किंतु वे धन, हथियार, वाहन, नकली दस्तावेज और सीमा-पार संपर्क उपलब्ध कराकर आतंकवादी तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए आतंकी वित्तपोषण की जाँच को केवल बैंक खातों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। नशीले पदार्थों, हथियारों, हवाला, साइबर धोखाधड़ी और संगठित अपराध की जाँच से प्राप्त सूचनाओं को संयुक्त रूप से समझना आवश्यक है। ड्रोन ने सीमा पार से हथियार, गोला-बारूद और नशीले पदार्थ गिराने की नई क्षमता प्रदान की है। वाणिज्यिक ड्रोन का संशोधित उपयोग निगरानी या हमला करने में भी संभव है। संयुक्त राष्ट्र ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आभासी परिसंपत्तियों, त्रि-आयामी मुद्रण, वाणिज्यिक ड्रोन और मानवरहित प्रणालियों के आतंकवादी दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। इसलिए तकनीकी प्रतिरक्षा केवल महँगे उपकरण खरीदने तक सीमित नहीं रह सकती। रेडियो-फ्रीक्वेंसी पहचान, ड्रोन-फोरेंसिक, वित्तीय डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जोखिम-पहचान, साइबर विशेषज्ञता और निजी तकनीकी कंपनियों के साथ उत्तरदायी साझेदारी विकसित करनी होगी।

5. आंतरिक सुरक्षा पर आतंकवाद का प्रभाव

आतंकवाद का पहला और सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। मृत्यु और शारीरिक चोट के अतिरिक्त बचे हुए लोगों, उनके परिवारों, सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय समुदायों पर दीर्घकालिक मानसिक आघात रहता है। निरंतर भय के कारण शिक्षा, रोजगार, आवागमन और सामाजिक जीवन सीमित हो सकते हैं। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र में सामान्य नागरिक प्रायः दोहरे दबाव का सामना करता है—एक ओर हिंसक संगठन और दूसरी ओर कठोर सुरक्षा जाँच। दूसरा प्रभाव आर्थिक है। पर्यटन, परिवहन, निवेश, बाजार, होटल, छोटे व्यापार और दैनिक मजदूरी तुरंत प्रभावित होते हैं। सुरक्षा पर अतिरिक्त सार्वजनिक व्यय आवश्यक हो जाता है, जिससे विकास की अन्य प्राथमिकताओं पर दबाव पड़ सकता है। सड़क, रेल, बिजली, संचार, बंदरगाह, हवाई अड्डे और डिजिटल भुगतान जैसी महत्त्वपूर्ण अवसंरचना पर हमला व्यापक आर्थिक व्यवधान पैदा कर सकता है।

तीसरा प्रभाव सामाजिक समरसता पर पड़ता है। आतंकवादी संगठन किसी धार्मिक, जातीय या क्षेत्रीय पहचान का उपयोग कर सकते हैं, जबकि उनका वास्तविक उद्देश्य समाज को ध्रुवीकृत करना होता है। यदि किसी घटना के बाद पूरे समुदाय को संदेह की दृष्टि से देखा जाए, तो आतंकवादी प्रचार को नया आधार मिल सकता है। इसलिए जिम्मेदार राजनीतिक भाषा, तथ्य-आधारित मीडिया और सामुदायिक संवाद भी सुरक्षा के महत्त्वपूर्ण साधन हैं।

चौथा प्रभाव लोकतांत्रिक शासन पर पड़ता है। संकट की स्थिति में राज्य को विशेष शक्तियाँ देनी पड़ सकती हैं, पर लंबे समय तक पर्याप्त निगरानी के बिना ऐसी शक्तियाँ नागरिक स्वतंत्रताओं को प्रभावित कर सकती हैं। दूसरी ओर कमजोर कानून और धीमी न्यायिक प्रक्रिया पीड़ितों तथा आम नागरिकों का विश्वास तोड़ सकती है। वास्तविक चुनौती सुरक्षा और स्वतंत्रता में से किसी एक को चुनना नहीं है। आवश्यकता ऐसी व्यवस्था बनाने की है जिसमें प्रभावी जाँच, सटीक खुफिया सूचना, समयबद्ध न्याय और मौलिक अधिकार एक-दूसरे के पूरक हों।

6. भारत का विधिक एवं संस्थागत ढाँचा : भारत में आतंकवाद से निपटने का मुख्य विशेष कानून विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 है। समय-समय पर किए गए संशोधनों द्वारा इसमें आतंकवादी कृत्य, आतंकी संगठन, आतंकवाद के लिए धन जुटाना, षड्यंत्र, भर्ती, संपत्ति

©The Research Dialogue | Received: 01 April 2026 | Accepted: 05 April 2026 | Published: 15 April 2026

जब्ती और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने संबंधी प्रावधान जोड़े गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, 2023 में भी आतंकवादी कृत्य को अपराध के रूप में शामिल किया गया है।

इन प्रावधानों का उद्देश्य गंभीर सुरक्षा खतरों पर प्रभावी कार्रवाई करना है। फिर भी व्यापक परिभाषाओं, जमानत संबंधी कठोरता और लंबी विचाराधीन हिरासत की संभावना के कारण इनके विवेकपूर्ण प्रयोग, उच्च-स्तरीय स्वीकृति, समयबद्ध जाँच और न्यायिक परीक्षण की आवश्यकता बनी रहती है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत NIA की स्थापना उन अनुसूचित अपराधों की जाँच एवं अभियोजन के लिए की गई, जिनका प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता तथा अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा हो। वर्ष 2019 के संशोधन ने निर्धारित परिस्थितियों में विदेश में भारतीय नागरिकों अथवा भारतीय हितों के विरुद्ध किए गए अनुसूचित अपराधों तक एजेंसी की क्षमता का विस्तार किया।

दिसंबर 2024 के आधिकारिक संसदीय उत्तर के अनुसार निर्णीत NIA मामलों में दोषसिद्धि दर 95.23 प्रतिशत बताई गई थी। एजेंसी ने UAPA के अंतर्गत 543 चल एवं अचल संपत्तियाँ, जिनका मूल्य लगभग 109.6 करोड़ रुपये था, जब्त अथवा कुर्क की थीं। साइबर आतंकवाद, विस्फोटक एवं प्रतिबंधित हथियार तथा मानव तस्करी से संबंधित अलग विशेषज्ञ प्रभाग भी बनाए गए।

यह पेशेवर जाँच की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। फिर भी दोषसिद्धि दर का मूल्यांकन कुल पंजीकृत मामलों, लंबित मुकदमों, विचाराधीन आरोपियों, बरी किए गए व्यक्तियों और अपीलों के संदर्भ में भी किया जाना चाहिए। संस्थागत स्तर पर खुफिया ब्यूरो, मल्टी एजेंसी सेंटर, राज्य पुलिस, आतंकवाद-रोधी दस्ते, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल, वित्तीय खुफिया इकाई, प्रवर्तन निदेशालय और विभिन्न साइबर एवं फोरेंसिक संस्थाएँ सहयोग करती हैं। गृह मंत्रालय का आतंकवाद-रोधी एवं कट्टरवाद-रोधी प्रभाग नीति-निर्माण, अंतर-संस्थागत समन्वय, आतंकी वित्त, ऑनलाइन कट्टरपंथ और चरमपंथी गतिविधियों की निगरानी से संबंधित है। : समस्या संस्थाओं की संख्या से अधिक उनके बीच समान डेटा-मानक, समयबद्ध सूचना-साझाकरण, राज्य पुलिस की तकनीकी क्षमता और अभियोजन की गुणवत्ता में असमानता की है।

7. उपलब्धियाँ और बनी हुई चुनौतियाँ

भारत की आतंकवाद-रोधी नीति की प्रमुख उपलब्धि यह है कि कई क्षेत्रों में हिंसा का भौगोलिक विस्तार और तीव्रता कम हुई है। जम्मू-कश्मीर में घटनाओं की कमी, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों का सिकुड़ना, उत्तर-पूर्व में शांति-समझौते और NIA की उच्च दोषसिद्धि दर संस्थागत क्षमता में वृद्धि का संकेत हैं। खुफिया-आधारित अभियानों ने हमलों को रोकने, मॉड्यूल तोड़ने और वित्तीय नेटवर्क पर प्रहार करने में सहायता की है।

फिर भी पाँच गंभीर चुनौतियाँ शेष हैं। पहली चुनौती खतरे का विकेन्द्रीकरण है। छोटे मॉड्यूल और स्व-प्रेरित व्यक्ति बहुत कम संचार में काम कर सकते हैं। दूसरी चुनौती तकनीकी विषमता है। आतंकवादी सस्ते वाणिज्यिक उपकरणों को शीघ्र अपना सकते हैं, जबकि सरकारी खरीद, प्रशिक्षण और मानकीकरण की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी हो सकती है। तीसरी चुनौती संघीय समन्वय है। पुलिस और लोक-व्यवस्था संविधान की राज्य सूची के विषय हैं, पर आतंकवादी नेटवर्क की कड़ियाँ कई राज्यों तथा देशों में फैली होती हैं। इसलिए राष्ट्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच अधिकारों, सूचना और उत्तरदायित्व का संतुलन आवश्यक है। चौथी चुनौती अभियोजन एवं फोरेंसिक विलंब है। घटनास्थल की सुरक्षा में त्रुटि, डिजिटल साक्ष्य की उचित संरक्षा का अभाव, गवाहों की सुरक्षा और विशेषज्ञ अभियोजकों की कमी गंभीर मुकदमों को कमजोर या लंबा कर सकती है।

पाँचवीं चुनौती कट्टरपंथ को जन्म देने वाली सामाजिक परिस्थितियाँ हैं। अपमान, अलगाव, भेदभाव की धारणा, स्थानीय अन्याय, बेरोजगारी अथवा पहचान-संकट का उपयोग हिंसक संगठन अपने प्रचार में कर सकते हैं। इन परिस्थितियों को केवल पुलिस कार्रवाई से समाप्त नहीं किया जा सकता।

8. नीतिगत सुझाव

8.1 रोकथाम-प्रधान सुरक्षा व्यवस्था: आतंकवाद-रोधी नीति को घटना के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय रोकथाम-प्रधान बनाया जाना चाहिए। स्थानीय पुलिस, बीट प्रणाली, पंचायत, विद्यालय, धार्मिक संस्थाओं और सामुदायिक संगठनों के बीच भरोसेमंद संपर्क से हिंसक गतिविधियों के प्रारंभिक संकेत प्राप्त किए जा सकते हैं। समुदाय को केवल मुखबिर मानने के बजाय सुरक्षा का सहभागी समझना अधिक प्रभावी होगा।

8.2 राज्य पुलिस की तकनीकी क्षमता

राज्य पुलिस और आतंकवाद-रोधी दस्तों के लिए समान न्यूनतम क्षमता-मानक निर्धारित किए जाने चाहिए। साइबर फोरेंसिक, वित्तीय अन्वेषण, विस्फोटक विश्लेषण, ड्रोन-फोरेंसिक, भाषायी विशेषज्ञता और डिजिटल साक्ष्य की न्यायालय-सम्मत संरक्षा पर नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है।

'प्रहार' रणनीति में भी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की आतंकवाद-रोधी इकाइयों के ढाँचे, संसाधनों, प्रशिक्षण और जाँच-पद्धतियों में अधिक एकरूपता की आवश्यकता स्वीकार की गई है।

8.3 आतंक-वित्त पर प्रभावी नियंत्रण

आतंक-वित्त पर 'फॉलो द मनी' दृष्टिकोण मजबूत किया जाना चाहिए। छोटी संदिग्ध राशियों, हवाला, नशीले पदार्थ, अवैध खनन, जबरन वसूली और डिजिटल वॉलेट के बीच संबंधों का संयुक्त विश्लेषण किया जाए। वित्तीय खुफिया इकाई, प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों और राज्य पुलिस के बीच सुरक्षित सूचना-साझाकरण व्यवस्था होनी चाहिए।

संपत्ति कुर्की के साथ निर्दोष तृतीय पक्षों के अधिकारों, पारदर्शी प्रक्रिया और प्रभावी अपील की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

8.4 ऑनलाइन कट्टरपंथ के विरुद्ध सामाजिक रणनीति

ऑनलाइन कट्टरपंथ से निपटने के लिए केवल सामग्री हटाना पर्याप्त नहीं है। विश्वसनीय स्थानीय भाषाओं में वैकल्पिक कथ्य, तथ्य-जाँच, डिजिटल नागरिकता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और परिवार-आधारित हस्तक्षेप आवश्यक हैं।

विचार और हिंसा के बीच स्पष्ट अंतर रखा जाना चाहिए। कट्टर अथवा अलोकप्रिय विचार अपने आप में अपराध नहीं हैं, किंतु हिंसा के लिए उकसाना, आतंकवादी भर्ती, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और षड्यंत्र दंडनीय गतिविधियाँ हैं। यह भेद लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और प्रभावी सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है।

8.5 विकास एवं स्थानीय अधिकार

सीमावर्ती और संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में विकास को सुरक्षा अभियान का परिशिष्ट नहीं, बल्कि उसका मूल भाग माना जाना चाहिए। सड़क और मोबाइल टावर तभी भरोसा पैदा करेंगे जब उनके साथ शिक्षक, चिकित्सक, निष्पक्ष न्याय, वनाधिकार, रोजगार और जवाबदेह प्रशासन भी उपलब्ध हों।

विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय भाषा, ग्राम संस्थाओं, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। विकास परियोजनाओं से उत्पन्न विस्थापन और मुआवजे संबंधी शिकायतों का समय पर समाधान हिंसक संगठनों के प्रचार को कमजोर कर सकता है।

8.6 पीड़ित-केंद्रित नीति

आतंकवादी घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजा, पुनर्वास, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, बच्चों की शिक्षा, रोजगार और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सहायता की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। पीड़ितों की गरिमा को सार्वजनिक स्मृति और नीति में स्थान देना आतंकवादी हिंसा के विरुद्ध लोकतांत्रिक नैतिकता को मजबूत करता है।

8.7 कानूनी पारदर्शिता और समीक्षा

आतंकवाद-रोधी कानूनों पर नियमित संसदीय और न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए। गिरफ्तारी, आरोपपत्र, जमानत, मुकदमे की अवधि, दोषसिद्धि और बरी होने के समेकित आँकड़े सार्वजनिक किए जाएँ। इससे कानूनों की प्रभावशीलता का निष्पक्ष मूल्यांकन संभव होगा।

संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति मानवाधिकार और विधि के शासन को आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष का आधार मानती है। पारदर्शिता सुरक्षा को कमजोर नहीं करती; वह त्रुटियों को कम करके संस्थागत वैधता और जनविश्वास को बढ़ाती है।

8.8 अंतरराष्ट्रीय सहयोग

अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रत्यर्पण, पारस्परिक कानूनी सहायता, आतंक-वित्त सूचना, यात्री डेटा, इंटरपोल नोटिस, साइबर साक्ष्य और प्रतिबंधित संगठनों पर समन्वय तक विस्तृत किया जाना चाहिए। सीमा-पार आतंकवाद का स्थायी उत्तर केवल घरेलू गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उसके प्रायोजकों, वित्तदाताओं, प्रचारकों और सुरक्षित ठिकानों पर कूटनीतिक तथा कानूनी दबाव भी है।

9. निष्कर्ष

आतंकवाद और भारत की आंतरिक सुरक्षा का संबंध निरंतर बदलता हुआ है। एक समय बड़े प्रशिक्षण शिविर, भारी घुसपैठ और श्रृंखलाबद्ध विस्फोट प्रमुख खतरे थे। आज उनके साथ छोटे मॉड्यूल, लक्षित हिंसा, ऑनलाइन कट्टरपंथ, ड्रोन, साइबर हमले, संगठित अपराध और सूक्ष्म वित्तीय लेन-देन जुड़ गए हैं।

आधिकारिक आँकड़ों में हिंसा की कमी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, पर सुरक्षा की सफलता केवल कम घटनाओं से नहीं मापी जानी चाहिए। वास्तविक सफलता तब होगी जब नागरिक बिना भय के जीवन जी सकें, स्थानीय समुदाय राज्य पर विश्वास करें, न्याय समय पर मिले, सीमाएँ और डिजिटल अवसंरचना सुरक्षित रहें तथा किसी समुदाय को सामूहिक संदेह का विषय न बनाया जाए।

भारत के अनुभव से स्पष्ट है कि आतंकवाद का उत्तर बहुस्तरीय होना चाहिए—कठोर वहाँ, जहाँ हिंसा और षड्यंत्र हों; संवेदनशील वहाँ, जहाँ शिकायत, पहचान और अलगाव हो; वैज्ञानिक वहाँ, जहाँ डिजिटल तथा वित्तीय साक्ष्य हों; और संवैधानिक वहाँ, जहाँ राज्य की शक्ति नागरिक स्वतंत्रता से टकराने की आशंका हो।

'प्रहार' जैसी समेकित नीति तभी प्रभावी होगी जब केंद्र और राज्य सरकारें, सुरक्षा एजेंसियाँ, न्यायपालिका, तकनीकी संस्थान और नागरिक समाज साझा उत्तरदायित्व के साथ काम करें। अंततः आतंकवाद के विरुद्ध सबसे मजबूत रक्षा केवल हथियारबंद क्षमता नहीं, बल्कि ऐसा न्यायपूर्ण, समावेशी और उत्तरदायी लोकतंत्र है जिसमें हिंसक विचारधाराओं को सामाजिक आधार प्राप्त न हो सके।

संदर्भ

Crenshaw, M. (1981). The causes of terrorism. *Comparative Politics, 13*(4), 379–399.

Hoffman, B. (2017). *Inside terrorism* (3rd ed.). Columbia University Press.

Kydd, A. H., & Walter, B. F. (2006). The strategies of terrorism. *International Security, 31*(1), 49–80.

भारत सरकार, गृह मंत्रालय। (2024)। *वार्षिक रिपोर्ट 2023–2024*। नई दिल्ली: भारत सरकार।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय। (2025)। *वामपंथी उग्रवाद से संबंधित लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1218 का उत्तर, 11 फरवरी 2025*। नई दिल्ली: भारत सरकार।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय। (2026)। *राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति एवं रणनीति: प्रहार*। नई दिल्ली: भारत सरकार।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय। (2026)। *वार्षिक रिपोर्ट 2024–2025*। नई दिल्ली: भारत सरकार।

भारत सरकार, प्रेस सूचना ब्यूरो। (2023)। *जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में गिरावट*। नई दिल्ली: भारत सरकार।

भारत सरकार, प्रेस सूचना ब्यूरो। (2024)। *उत्तर-पूर्वी राज्यों में उग्रवाद की स्थिति एवं सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम से संबंधित संसदीय उत्तर*। नई दिल्ली: भारत सरकार।

भारत सरकार, प्रेस सूचना ब्यूरो। (2024)। *राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण से संबंधित संसदीय उत्तर*। नई दिल्ली: भारत सरकार।

भारत सरकार। (1967, यथासंशोधित)। *विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967*। इंडिया कोड।

भारत सरकार। (2008, यथासंशोधित 2019)। *राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008*। इंडिया कोड।

भारत सरकार। (2023)। *भारतीय न्याय संहिता, 2023*। इंडिया कोड।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। (2026)। *अभिकरण का परिचय, उद्देश्य एवं संस्थागत भूमिका*। नई दिल्ली: भारत सरकार।

United Nations. (2006). *United Nations Global Counter-Terrorism Strategy (A/RES/60/288).* New York: United Nations.

United Nations Office of Counter-Terrorism. (2024–2026). *Countering terrorism, human rights and emerging technologies resources.* New York: United Nations.

Cite this Article:

सिंह, डॉ० कुलदीप . (2026). आतंकवाद और भारत की आंतरिक सुरक्षा: बदलते स्वरूप, चुनौतियाँ एवं नीतिगत प्रतिरक्षा का विश्लेषण. The Research Dialogue, Open Access Peer-reviewed & Refereed Journal, Pp.737–745, Volume-04, Issue-04, January-2026, https://theresearchdialogue.com/

This is an Open cess Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

डॉ० कुलदीप सिंह

For publication of Research Paper title

आतंकवाद और भारत की आंतरिक सुरक्षा: बदलते स्वरूप, चुनौतियाँ एवं नीतिगत प्रतिरक्षा का विश्लेषण

Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-05, Issue-01, Month April, Year-2026, Impact Factor (RPRI-4.73)

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor- In-chief

Dr. Neeraj Yadav
Executive-In-Chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://theresearchdialogue.com/

DOI : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i1.74